

## उपभोक्ता योजना

उपभोक्ताओं को दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से न्याय पंचायत, जनपद एवं प्रदेश स्तर पर सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उपभोक्ता योजना का संचालन किया जा रहा है। यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में लागू है। योजनान्तर्गत प्रदेश में प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियों, केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डारो तथा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समितियों आदि द्वारा उपभोक्ता व्यवसाय किया जा रहा है।

इस योजनान्तर्गत 1978 सहकारी समितियों द्वारा पूरे प्रदेश में उपभोक्ता सामग्री की आपूर्ति की जा रही है, जिसमेंसे 1498 समितियां ग्रामीण क्षेत्र में तथा 480 समितियां नगरीय क्षेत्र में कार्यरत हैं। जनपद स्तर पर 48 केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार भी कार्यरत हैं। उपर्युक्त समितियां स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत निजी संसाधनों का उपयोग कर थोक दरों पर सामग्री क्रय करती हैं तथा खुदरा दर निर्धारित कर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराती हैं। इन सहकारी समितियों से कोई भी व्यक्ति सामान खरीद सकता है। उपरोक्त के अतिरिक्त कतिपय केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार शासन की नीति के अनुरूप मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहूँ एवं धान क्रय का कार्य भी करते हैं। इन समितियों द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु निर्धारित वार्षिक लक्ष्य रू० 40553.08 लाख रू० के सापेक्ष मु० 23412.03 लाख रू० का उपभोक्ता व्यवसाय किया गया है जिसमें ग्रामीण उपभोक्ता व्यवसाय रू० 5101.10 लाख तथा नगरीय उपभोक्ता व्यवसाय रू० 18310.93 लाख रहा।

विवरण / मद	2014-15	2015-16	2016-17
उपभोक्ता व्यवसाय करने वाली अन्य समितियां	29350.22	29397.05	23412.03